



कारागार विभाग, हरियाणा

बेज नं. 03-06, सेक्टर-14, पंचकूला। दूरभाष:- 0172-2586721

ई-मेल:- office_dg.prisons@hry.nic.in



वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए सूचना

कारागार विभाग, हरियाणा ने भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) की नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की योजना के तहत हरियाणा राज्य की 15 जेलों में 15 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की है। केंद्रों का विवरण, उनकी योग्यता और पारिश्रमिक इस प्रकार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता और अनुभव	मासिक पारिश्रमिक
01	परामर्शदाता/सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक/सामुदायिक कार्यकर्ता	किसी भी विषय में स्नातक तथा क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। आवेदक के पास एनआईएसआई द्वारा नशा मुक्ति परामर्श में तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा उसे अंग्रेजी के साथ-साथ एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।	25,000/-
02	सह-शिक्षक	साक्षर होना चाहिए, पूर्व ड्रग उपयोगकर्ता, 1-2 साल तक संयमित, ड्रग का उपयोग करने वाले लोगों के बीच काम करने के लिए इच्छुक, साथ ही सहानुभूति, संचार कौशल जैसे गुणों से युक्त। प्रशिक्षित होने के लिए इच्छुक; ड्रग का उपयोग करने, खरीदने या बेचने से परहेज करने के लिए सहमत; हानिकारक ड्रग के उपयोग और पुनर्प्राप्ति की रोकथाम के लिए काम करने के लिए तैयार	10,000/-

वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं स्थान:- जेलों में विभिन्न रिक्त संविदा पदों को भरने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू दिनांक 09.06.2025 को प्रातः 09:00 बजे संबंधित जेलों में निर्धारित है:-

क्र.सं.	जेल का नाम	जिन पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा	पदों की संख्या	अवधि
1.	सेंट्रल जेल, अंबाला	परामर्शदाता/सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक/सामुदायिक कार्यकर्ता	01	एक वर्ष या मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी पहले हो।
2.	जिला जेल, गुरुग्राम	सहकर्मी शिक्षक	01	-यथा-
3.	जिला जेल, कैथल	परामर्शदाता/सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक/सामुदायिक कार्यकर्ता	01	-यथा-

नियम एवं शर्तें:

- आवेदकों को 09.06.2025 को सुबह 09:00 बजे उपरोक्त जेलों में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- चयन और नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद साक्षात्कार में उपस्थित होने या पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।
- केवल आवश्यक योग्यता/अनुभव की पूर्ति ही चयन की गारंटी नहीं है। उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त पद पूर्णतः अनुबंध के आधार पर तथा ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए हैं।
- चयनित अभ्यर्थियों को कोई एचआरए/मेडिकल क्लेम/वाहन भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करें:- पात्र एवं इच्छुक आवेदक अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (संलग्न प्रपत्र) तथा बायोडाटा/रिज्यूमे/सीवी (नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो सहित) के साथ मूल प्रमाण-पत्रों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करें तथा साथ ही आयु, योग्यता, मार्कशीट, डिग्री, एमसीएल/राज्य पंजीकरण, श्रेणी एवं अनुभव प्रमाण-पत्र आदि के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों की एक सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी तथा दो हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ दिनांक 09.06.2025 को प्रातः 09:00 बजे उपरोक्त जेलों में उपस्थित हों।

उप अधीक्षक (प्रशासन),
महानिदेशक, जेल, हरियाणा